किसानों को बाजार से कम दर उपलब्ध होंगे कृषि मशीनरी व यंत्र

बीकानेर,(कासं)। बीकानेर क्षेत्र के किसानों को अब समुचित दर पर विभिन्न कृषि मशीनरी तथा उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थित एफआईएमटीटीसी में कुलगुरू डॉ राजेन्द्र बाबू दुबे ने गुरूवार को कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर कुलसचिव डॉ देवाराम सैनी, वित्त नियंत्रक हनुमान प्रसाद, अनुसंधान निदेशक डॉ एन. के. शर्मा, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ दीपाली धवन, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉ विजय प्रकाश, इंजीनियर विपिन लड्ढा तथा प्रभारी अधिकारी डॉ विक्रम योगी उपस्थित थे।

कुलगुरू ने कस्टम हायरिंग सेंटर के प्रारंभ होने पर बधाई देते हुए कहा कि एफआईएमटीटीसी द्वारा नियमित रूप से किसानों, कृषि यंत्र निर्माताओं के हित में कार्य किया जा रहा है। यहां आ रही मशीनें अब इस केन्द्र के माध्यम से किसानों के लिए सही दर पर उपलब्ध होगी। इसका किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र के मशीनों के मेंटेनेंस, रखरखाव आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिससे इन्हें कार्यशील स्थिति में रखते हुए किसानों को केन्द्र का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थित एफआईएमटीटीसी में कुलगुरू डॉ राजेन्द्र बाबू दुबे ने कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन किया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ देवाराम सैनी ने कहा कि एफआईएमटीटीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान बनी है। आय सृजन के साथ केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों तथा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब यहां कस्टम हायरिंग सेंटर प्रारंभ होने से केन्द्र की खेतों तक पहुंच बनेंगी और तकनीकी हस्तांतरण में भी केन्द्र सहयोगी बनकर उभरेगा। केन्द्र से होने वाली आय के माध्यम से कृषि उपकरणों का रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न किया जा सकेगा। केन्द्र के प्रभारी डॉ विक्रम योगी ने बताया कि राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कृषि यंत्र व मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र में कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने की सहमति दी गई है। इजीनियर विपिन लड्ढा ने बताया कि केन्द्र द्वारा फार्म मशीनरी एवं उपकरणों की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के दौरान विभिन्न निर्माता फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये गये आधुनिक कृषि यंत्र व मशीनें इस कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को किराये पर उपलब्ध करवाए जायेंगे। इसके लिए किसान कस्टम हायरिंग केन्द्र ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इस पर पंजीकरण करवाते हुए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं।

- **कस्टम हायरिंग सेंटर के प्रारंभ होने से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र व मशीनें सेंटर के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को किराये पर उपलब्ध करवाए जायेंगे**

इस केन्द्र द्वारा कृषकों को कृषि यंत्र एवं कृषि उपकरण किराये पर प्रचलित बाजार दर से कम दर पर उपलब्ध कराए जायेंगे। कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा किराए पर यंत्रों को उपलब्ध कराए जाने हेतु राज किसान साथी कस्टम हायरिंग केन्द्र ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्यतः की जायेगी। यंत्रों के कृषि क्षेत्रफल का कृषकवार रिकॉर्ड संधारण भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

एसकेआरएयू में वर्ष 2012 से संचालित इस फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर (एफ एम टी टी सी) की स्थापना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन की गई।

संभाग स्तरीय मरू बीकाणा वन मेला आज

बीकानेर, (कासं)। संभाग में स्थित वन संपदा पारंपरिक ज्ञान तथा वन आधारित आजीविका को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग बीकानेर के तत्वावधान में एक दिवसीय संभाग स्तरीय मरू बीकाणा वन मेला- 27 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 05 बजे तक स्थानीय ग्रामीण हाट, जयनारायण व्यास कॉलोनी में आयोजित किया जायेगा।

मरू वन मेले के प्रचार से जुड़े उप वन संरक्षक अहमद हारून कादरी ने बताया कि आमजन में पर्यावरण एवं वन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अन्तर्गत मरू वन मेले में वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूह, आजीविका समूह, पारिस्थितिकी विकास समिति, वन विभाग द्वारा मरू क्षेत्र के वन एवं वनस्पति प्रजातियों जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, शीशम आदि के प्रचार-प्रसार व वन्य जीव संबंधी गतिविधियों से जुड़ी संभागाधीन बीकानेर, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर एवं चूरू जिलों की लगभग 15 स्टॉल्स लगाई जायेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी उदयशंकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर व अध्यक्षता ओमप्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर करेंगे। विशिष्ट अतिथि हनुमानाराम, संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर होंगे।

युवा भारत संसद-आयोजित

बीकानेर। माई युवा भारत एवं राजकीय डूंगर महाविधालय के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को प्रताप सभागार में 'विकसित भारत युवा संसद-2026' का आयोजन हुआ। इसमें 24 विद्यार्थियों ने 'आपातकाल के 50 वर्षः भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक' विषय पर अपने विचार रखे। इसमें ऐश्वर्या अरोड़ा, कनिष्का शेखावत, प्रियंका, दीपशिखा शेखावत और गजराज कंवर ने पहले पांच स्थानों पर कब्जा जमाया।

34 बच्चों को जीवनरक्षक टीके लगाए

बीकानेर, (कासं)। सीएचसी नापासर के अंतर्गत मुंडसर गांव के स्लम क्षेत्र में विशेष टीकाकरण अभियान में कुल 34 बच्चों को विभिन्न जीवनरक्षक टीके लगाये गए। उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉनिटर सावन कुमार द्वारा क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान कई बच्चे टीकाकरण से वंचित पाये गए थे।

श्मशान भूमि के लिए रास्ते की मांग

रायसिंहपुर, (कासं)। समेजा कोठी थाना क्षेत्र स्थित गांव भोमपुरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकी श्मशान भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत करने, वाटर वर्क्स हेतु भूमि और रास्ता आरक्षित करने और हड्डा रोड़ी के लिए अलग से भूमि आवंटित करने की मांग की गई है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि चक 48 एनपी के मुरब्बा नंबर 1 के किला नंबर 4, 7, 14, 17 और 24 में श्मशान भूमि स्वीकृत है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- निगमन/2025/पाकशाला रेफ नं. 19268253 दिनांक :- 10.12.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 7 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0" गुणा 47'-6" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री जसवीर सिंह निवासी 7 जैड पो.ओ-09 जैड, 7जैड मिर्जवाला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री जसवीर सिंह निवासी 7 जैड़ पो.ओ-09 जैड , 7जैड मिर्जवाला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 7 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0" गुणा 47'-6" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 18.03.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **(1) निविदा संख्याः** 291, **कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर-मुख्यालय/बीकानेर के अधीन आरपीएफ परेड ग्राउंड के पास, आरपीएफ बैरक के पास और बीकानेर में वाशिंग लाईन के पास बाउंड्रीवॉल का निर्माण करना ताकि ट्रेसपासिंग को रोका जा सकें (कुल लंबाई 4.6 कि.मी.) **अनुमानित लागत मूल्यः** ₹ 92473376.13/- **धरोहर राशिः** ₹ 612400.00/- **नोटः** अन्य शर्तें रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 282-DK/26
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

बस छूटी तो कॉलेज छात्रा रोने लगी, ऑटो करवाकर बीकानेर भेजा

- **तीन दिन से प्राइवेट बस संचालकों की हड़ताल से यूनिवर्सिटी और बोर्ड परीक्षा देने आने वाले आसपास के गांवों के छात्र-छात्राओं को बड़ी परेशानी हो रही है**
- **रोडवेज बस में भीड़ इतनी थी कि जगह नहीं मिलने से बीकानेर नहीं पहुंच पाने की आशंका में कई छात्राएं रोने लगी**

बीकानेर, (कासं)। पिछले तीन दिनों से निजी बसों की हड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है।

गुरूवार को भी जिले के नपासर से बीकानेर आने वाली कॉलेज स्टूडेंट्स की बस छूट गई। ऐसे में वे रोने लगी। ये देख गांव के लोग वहां आये और इन बच्चियों को ऑटो करवाकर बीकानेर के लिए रवाना किया। दरअसल इन दिनों यूनिवर्सिटी और बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को परीक्षा देने बीकानेर आना पड़ रहा है। आमतौर पर विद्यार्थी प्राइवेट बसों से शहर पहुंचते हैं, लेकिन प्राइवेट बस होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

गुरूवार को नापासर बस स्टैंड पर सौ से ज्यादा छात्राएं बस का इंतजार करती रही। सींथल से होकर नापासर से बीकानेर जाने वाली एकमात्र रोडवेज बस वहां पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि छात्राओं को जगह नहीं मिल पाई। बीकानेर नहीं पहुंच पाने की आशंका में कई छात्राएं रोने लगी। बाद में उन्हें प्राइवेट ऑटो के माध्यम से बीकानेर रवाना किया गया। प्राइवेट बसें बंद होने की वजह से लोगों को रोडवेज में सफर करना पड़ा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी है कि जगह तक नहीं मिल रही है।

बीकानेर से कोलायत के बीच भी बसें बंद हैं। ऐसे में इस मार्ग पर तिपहिया ऑटो ही एकमात्र विकल्प बने हुए हैं। नेशनल हाईवे पर इन ऑटो से सफर करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। एडवोकेट विजयशंकर व्यास ने बताया कि उन्हें बीकानेर से कोलायत अदालत जाने के लिए ऑटो लेना पड़ रहा है। यह खतरनाक जरूर है लेकिन कोर्ट पहुंचना मजबूरी है।

बीकानेर में हर दिन 30 हजार से ज्यादा यात्री प्राइवेट बस स्टैंड से आवागमन करते हैं। गजनेर रोड (कोठारी अस्पताल के पास), गंगानगर सर्किल, इंदिरा गांधी नहर मुख्यालय के पास और गंगाशहर स्थित बस स्टैंड से संचालित होने वाली बसें बंद रहने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। यात्रियों का कहना है कि यदि हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो परीक्षार्थियों और रोजमर्रा कामकाज से जुड़े लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की तीन दिवसीय हड़ताल के कारण अनूपगढ़ क्षेत्र में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

नोखा, (कासं)। पोक्सो कोर्ट नंबर दो के कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल ने 15 साल की छात्रा का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे तीन लाख एक हजार रूपए का अर्थदंड भी देना होगा। यह राशि जमा नहीं कराने पर 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

9 फरवरी 2022 को नोखा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि 15 साल की छात्रा सुबह 10 बजे निजी स्कूल गई थी जो वापस नहीं लौटी। घर का मोबाइल चैक किया तो उसमें बिहार के खगड़िया निवासी आरोपी का मैसेज आया हुआ था। उसने छात्रा को अपने पास आने के लिए लिखा था। खोजबीन की तो आरोपी भी अपने गांव में नहीं था। आरोपी छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आमलकी एकादशी आज सर्वार्थ सिद्धि संयोग

बीकानेर, (कासं)। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 फरवरी को है। इसे आमलकी यानी आंवला एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन महीने में आने के कारण ये हिन्दी कैलेंडर की आखरी एकादशी होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के साथ ही आंवले का दान करने का भी विधान है। जिससे कई यज्ञों का फल मिलता है।

माना जाता है कि इस दिन आंवला खाने से बीमारियां खत्म होती है। ज्योतिर्विद ने बताया कि इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 26 फरवरी को आधी रात 12:35 से होगा। तिथि का समापन 27 फरवरी की रात 10:33 बजे होगा। इसलिए आमलकी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जायेगी।

उन्होंने बताया कि आमलकी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि, आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 7:05 से 11:23 बजे तक रहेगा। एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सबसे शुभतिथि है। जिस पर व्रत रखने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन्हीं में आमलकी एकादशी का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की उपासना करना अत्यंत लाभकारी होता है। क्योंकि यह विष्णुजी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि इसमें सभी देवी-देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में भी आमलकी एकादशी के महत्व का उल्लेख है। इस दिन उपवास किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आंवले की पूजा और दान से यज्ञों का पुण्य मिलता है। होली से चार दिन पहले आने से इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से देशभर में अलग-अलग जगहों पर होली खेलकर इस पर्व की शुरूआत की जाती है।

- **आमलकी एकादशी का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की उपासना करना अत्यंत लाभकारी होता है**

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांकः सामान्य/भूमि/राजकाज/4483 लोक सूचना दिनांक : 24.02.26
श्री रामप्रसाद बेमल पुत्र श्री गोविंदराम निवासी वार्ड नं. 22, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने नीचे अनिर्दिष्ट भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिपति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	तहसील सूरतगढ़ के चक 35 पैकोहर उमरा नं. 29/379 मुरब्बा नं. 57 किला नं. 6/2 (0.0057), 6/3 (0.051), 7 (0.081), 8 (0.0358), 11 (0.0837), 12(0.1227), 13/1 (0.1492), 13/2 (0.013), 14 (0.161), 15/1 (0.228), 15/2 (0.025) हैक्टेयर	0.9588 हैक्टेयर यानी 9588 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभृति अधिकारी के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24.02.2026 को जारी की गयी। - (पूजा शर्मा), प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/5164 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :26-2-26
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह एच.यू.एफ. कर्ता महेन्द्र सिंह सिद्धू पुत्र श्री बलदेव सिंह सिधु निवासी म.न. 1-सी-12, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड को न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 01 के किला नं. 16 में माप 30 इन्ट्र 60 फीट भूखण्ड संख्या ए-9, विद्यापीठ विहार, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का आवासीय का पट्टा संख्या 4871 दिनांक 25.08.2007 को श्रीमती रेशमा जिन्दल पत्नी श्री अशोक जिन्दल के नाम से जारी है।	श्री महेन्द्र सिंह एच.यू.एफ. कर्ता महेन्द्र सिंह द्वारा पंजीकृत बेचनामा दिनांक 04.07.2022 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह एच.यू.एफ. कर्ता महेन्द्र सिंह सिद्धू पुत्र श्री बलदेव सिंह सिधु निवासी म.न. 1-सी-12, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/की लीज होल्ड पट्टे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पूरा दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उत्तर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमजन/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व उद्धरण के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उत्तर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY26-26/MUT/1297 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/5165 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :26-2-26
श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश मीणा निवासी खैमू की ढाणी, झुंझुनू द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को जरिये पंजीकृत बेचनामा दिनांक 03.06.2024 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	दस्तावेज का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	संपरिवर्तन आदेश संख्या एफ-12(3)(49) राजस्व/2007/3991 दिनांक 02.05.2008 को श्री साहबराम पुत्र श्री हरचंद एवं आदेश संख्या एफ-12(3)(48) रोजस्व/2007/3985 दिनांक 02.05.2008 को श्री रामनारायण पुत्र श्री हरचंद के नाम से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है।	चक 13 एलानपी-II मुरब्बा नं. 02 के किला नं. 2 से 10 में कुल 2.040 हैक्टेयर एवं चक 13 एलानपी-II मुरब्बा नं. 02 के किला नं. 11 से 25 में कुल 3.467 हैक्टेयर	भूखण्ड संख्या डी-10 माप 39.3 इन्ट्र 70 फीट में से माप 19.8 इन्ट्र 30 फीट कॉर्नर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 26.02.2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 19 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 65'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री आकाश अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार बंसल निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री आकाश अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार बंसल निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 19 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 65'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref. No. 20775135 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

ओपीडी मरीजों के लिए आभा आईडी अनिवार्य

बीकानेर, (कासं)। एसडीएम राजकीय जिला अस्पताल में अब ओपीडी पर्ची बनवाने और आईपीडी फाइल खुलवाने के लिए आभा आईडी (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) अनिवार्य कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ सुनील हर्ष ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अस्पताल परिसर में अलग से आभा हेल्पलाइन काउंटर लगाया गया है। यहां मरीज अपने आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर अपनी आभा आईडी बनवा सकते हैं। आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। यह 14 अंकों की यूनिक हेल्थ आईडी है, जिसमें व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं। यह पूरी व्यवस्था केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत चल रही है। मरीज खुद भी घर बैठे आभा आईडी बना सकते हैं। ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए मरीज को आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए) या सक्रिय मोबाइल नंबर साथ लाना होगा। डिजिटल टोकन दिखाकर भी पर्ची ली जा सकती है। आरोग्य सेतु या आयुष्मान भारत ऐप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर काउंटर पर पर्ची प्राप्त की जा सकती है। अस्पताल के आईटी विशेषज्ञ शिशव जैन और ओ पीडी इंचार्ज अमित वशिष्ठ ने बताया कि इस व्यवस्था से मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे, बार-बार जांच दोहराने की जरूरत कम होगी और इलाज में आसानी होगी। यह व्यवस्था पहले से पीबीएम अस्पताल सहित कई अन्य अस्पतालों में लागू हो चुकी है।

होली उत्सव, चंग धमाल जारी

नोखा, (कासं)। होली पर्व नजदीक आने के साथ ही शहर में उत्सव का माहौल बन गया है। रम्मतों, फागोत्सव और चंग धमाल के कार्यक्रमों से शहर होली के रंगों में सराबोर है। इसी क्रम में रंग रसिया ग्रुप और संतोषी फाग दीवाना ग्रुप की ओर से हर दिन चंग धमाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं।

रात रंग रसिया ग्रुप ने भूरा चौक में होली चंग कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रुप के विजय बोथरा, जेठू लाहोटी और वीरेन्द्र बुच्चा ने बताया कि पिछले तीन दिनों से प्रतिदिन रात 8:30 बजे से देर रात तक पारंपरिक धमाल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं संतोषी चौक प्रांगण में संतोषी फाग दीवाना ग्रुप द्वारा भी होली चंग धमाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहां चंग की थाप पर पारंपरिक होली गीतों ने समां बांध दिया।

'किसान बागवानी व औषधीय फसलों से मुनाफा कमा सकते हैं'

- **शुष्क बागवानी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ**
- **बागवानी फसलों विशेषकर काचरी, काकड़ी, खजूर, खेजरी फसलों के बारे में बताया**

बीकानेर, (कासं)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत बीकानेर स्थित केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में तीन दिवसीय 26 से 28 फरवरी तक शुष्क बागवानी पर राष्ट्रीय सम्मेलन जैव-विविधता और जलवायु अनुकूलता द्वारा टिकाऊ भविष्य का सृजन का राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।

यह राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर एवं भारतीय शुष्क बागवानी समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में संस्थान के निदेशक, डॉ. जगदीश राणे ने मेहमानों एवं आगंतुकों एवं गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार बताया।

कार्यक्रम के उद्घाटन एवं अध्यक्षता कराते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप-महानिदेशक (बागवानी), डॉ. एस.के. सिंह ने अपने उद्बोधन भाषण में कहा कि पश्चिमी राजस्थान की विषम परिस्थितियों में भी किसान बागवानी फसलों की उन्नत तकनीक अपनाकर शुष्क क्षेत्रीय बागवानी फसलों (फल एवं सब्जियों) से उत्पादन बढ़ा सकते है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बागवानी फसलों के अलावा औषधीय एवं मसाला फसलों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बागवानी फसलों को व्यावसायिक रूप में अपनाने पर ज़ोर दिया एवं सीड विलेज कांसेप्ट, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, कृषि रोडमेप एवं विकसित कृषि अभियान कार्यक्रम पर विस्तार से बताया।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डॉ. वी.बी. पटेल ने बागवानी फसलों विशेषकर काचरी, काकड़िया, खजूर, खेजरी एवं अन्य फसलों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि किसान उन्नत तकनीक अपनाकर अच्छा लाभ ले सकते है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri